

115/17

11/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को
 प्रतिवादी न० २ का पत्र लिख के कोर्ट
 होने पर इतिहास पत्र अन्तर्गत पत्र
 चले हुए दिनांक २०/३/१९ से माफ
 दिनांक तक अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं
 किया गया। वकील वकील वादी ने लम्बे
 पाया। इसके द्वारा इतिहास होता है
 कि वकील वादी - माफ प्राप्त करने
 का इच्छुक नहीं है व पत्रावली में
 कोई हिलचल नहीं है वकील वादी
 द्वारा रस - माफ प्राप्त का प्रयत्न लम्बे
 अवधि में किया जा रहा है।

अतः पत्रावली अन्तर्गत पत्र अन्तर्गत
 हाजरी में खारिज की जाती है।
 पत्रावली में लम्बे अवधि होता है।
 अन्तर्गत है।

